सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
दूरभाष : (0755)2768390, 92, 94, 95, फैक्स : (0755) 4272644, 4271268

क्रमांक / राशिके / ईएंडआर / 2011 / 3104 **भोपाल, दिनांक – 20.04.11**

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय– शिक्षा का अधिकार अधिनियम–शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं तथा शासन से अनुदान प्राप्त समस्त प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ– राशिके का पूर्व पत्र क्रमांक, राशिके / ई.एंड.आर / 2008 / 3259 भोपाल, दिनांक–26 / 5 / 2008

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009, दिनांक 01 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2011, दिनांक 26 मार्च 2011 से लागू हो चुके हैं। इन नियमों के अंतर्गत प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं तथा शासन से अनुदान प्राप्त सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। अतः संदर्भित पत्र एवं उसके अनुक्रम में पालक शिक्षक संघ के गठन संबंधी जारी किये गये समस्त निर्देश अधिक्रमित किये जाते हैं।

1. शाला प्रबंधन समिति की संरचना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2011, में की गई व्याख्या के अनुसार शाला प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी–

1. **प्राथमिक शाला**–प्रायमरी स्कूल के लिए शाला प्रबंधन समिति अधिकतम 18 सदस्यीय होगी। इसके न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बच्चों के माता–पिता या अभिभावकों में से होंगे। दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।
2. **माध्यमिक शाला–**मिडिल स्कूल के लिए शाला प्रबंधन समिति अधिकतम 16 सदस्यीय होगी। इसके न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बच्चों के माता–पिता या अभिभावकों में से होंगे। दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।

नियम में इस संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो **परिशिष्ट – 1** में संलग्न है। अधिनियम के अंतर्गत गठित शाला प्रबंधन समिति पूर्व में जनशिक्षा अधिनियम के अंतर्गत गठित पालक शिक्षक संघ का स्थान लेगी।

2. शाला प्रबंधन समिति के गठन की प्रकिया–

बच्चों के माता–पिता अथवा अभिभावक का चयन–शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता और पिता अथवा अभिभावक के चयन की वही व्यवस्था रखी गई है जो पालक शिक्षक संघ के गठन के समय रखी गई थी।

प्राथमिक शालाओं में निम्नानुसार सदस्य चयनित किए जायेंगे–

ऐसे प्रत्येक बच्चे के माता और पिता या अभिभावक जिसने कक्षा एक, दो, तीन और चार में, पूर्ववर्ती अकादमिक सत्र की वार्षिक परीक्षा / मूल्यांकन में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं; (ए.बी.एल.कार्यक्रम संचालित करने वाली शालाओं में मार्च माह तक सभी विषयों के कुल निर्धारित माइलस्टोन में से कक्षावार (भागवार)सर्वाधिक माइलस्टोन पूर्ण करने वाले बच्चों के माता–पिता या अभिभावकों को चयनित किया जाएगा। यदि दो या अधिक बच्चों द्वारा एक समान संख्या में माइलस्टोन पूर्ण किए हों तब उनके मध्य

सर्वाधिक स्टार (*) प्राप्त करने वाले बच्चे के माता–पिता/अभिभावक का चयन किया जाएगा। उक्त स्थिति में भी यदि समानता रहती है तब चयन, पर्ची डालकर किया जाएगा।)

(दो) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों से संबंधित प्रत्येक एक बच्चे के माता और पिता या अभिभावक जिसने कक्षा एक से चार में, पूर्ववर्ती अकादमिक सत्र की वार्षिक परीक्षा में, क्रमशः उनके प्रवर्ग में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं; (ए.बी.एल.कार्यक्रम संचालित करने वाली शालाओं में मार्च माह तक सभी विषयों के कुल निर्धारित माइलस्टोन में से कक्षावार (भागवार)सर्वाधिक माइलस्टोन पूर्ण करने वाले बच्चों के माता–पिता या अभिभावकों को चयनित किया जाएगा। यदि दो या अधिक बच्चों द्वारा एक समान संख्या में माइलस्टोन पूर्ण किए हों तब उनके मध्य सर्वाधिक स्टार (*) प्राप्त करने वाले बच्चे के माता–पिता/अभिभावक का चयन किया जाएगा। उक्त स्थिति में भी यदि समानता रहती है तब चयन, पर्ची डालकर किया जाएगा।)

मिडिल स्कूल में निम्नानुसार सदस्य चयनित किए जाएंगे–

(एक) ऐसे प्रत्येक बच्चे के माता और पिता या अभिभावक जिन्होंने कक्षा पांच, छह तथा सात में, पूर्ववर्ती अकादमिक सत्र की वार्षिक परीक्षा में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं;

(दो) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों से संबंधित प्रत्येक बच्चे के माता और पिता या अभिभावक जिसने कक्षा पांच से सात में पूर्ववर्ती अकादमिक सत्र की वार्षिक परीक्षा में, क्रमशः उनके प्रवर्ग में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं;

शाला प्रबंधन समिति में मेद्यावी बच्चों के माता–पिता अथवा अभिभावक के चयन के लिए वर्ष 2010–11 के परीक्षा परिणाम को आधार बनाया जाये। प्राथमिक शालाओं में बच्चों के माता–पिता अथवा अभिभावक के चयन के लिए 23 अप्रेल 2011 के पूर्व बैठक नियत कर इसके आयोजन की सूचना शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा संलंग्न **परिशिष्ट–2** अनुसार दी जाए। शाला प्रबंधन समिति में मेद्यावी बच्चों के माता–पिता अथवा अभिभावक के चयन उपरांत उन्हें संलंग्न **परिशिष्ट–3** अनुसार सूचना शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा दी जाए। माध्यमिक शालाओं में यह कार्य संलंग्न कलैण्डर अनुसार 1 से 10 जुलाई के मध्य किया जाये।

3. निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन–

1- जिस वार्ड में शाला स्थित है उस वार्ड के ग्राम पंचायत का पंच या नगरीय निकाय का पार्षद पदेन सदस्य होगा। शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा संबंधित वार्ड के पंच/पार्षद को संलग्न **परिशिष्ट–4** अनुसार शाला प्रबंधन समिति का सदस्य होने की सूचना दी जायेगी।

2- शाला प्रबंधन समिति में ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में सरपंच द्वारा मनोनीत एक महिला पंच तथा नगरीय क्षेत्र की स्थिति में स्थानीय निकाय के मेयर/अध्यक्ष द्वारा नामांकित एक महिला पार्षद सदस्य होगे।
इसके लिए शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा **परिशिष्ट–5** अनुसार सरपंच/मेयर/अध्यक्ष महोदय को सूचित किया जायेगा।

4. अन्य सदस्यों का चयन –

समिति में शाला के प्रधान अध्यापक या वरिष्ठतम शिक्षक सदस्य सचिव होंगे। शाला की वरिष्ठतम महिला शिक्षक सदस्य होंगी। अतः शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा शाला वरिष्टतम महिला शिक्षिका को संलग्न **परिशिष्ट–6** द्वारा तत्संबंध में सूचित किया जायेगा।

यदि किसी शाला में महिला शिक्षक की पदस्थापना नहीं है तो उक्त स्थान रिक्त रहेगा और महिला शिक्षक की पदस्थापना होने पर यह पद भरा जायेगा।

5. अध्यक्ष का निर्वाचन–

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, में की गई व्यवस्था के अनुसार शाला प्रबंधन समिति का एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष का चयन शाला प्रबंधन समिति में शामिल बच्चों के माता और पिता अथवा अभिभावकों में से होगा। अध्यक्ष के चयन के लिए निम्नानुसार निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाये –

1- शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष निर्वाचन की तिथि से सभी सदस्यों को संलग्न **परिशिष्ट–7** अनुसार सूचित किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के पंच/पार्षद सदस्यों को सूचना नहीं दी जायेगी क्योंकि इन्हें अध्यक्ष के निर्वाचन में मतदान का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव तथा वरिष्टतम महिला अध्यापक सदस्य को भी अध्यक्ष के निर्वाचन में मतदान का अधिकार नहीं है।

2- निर्वाचन की प्रक्रिया को जवाबदारी के साथ पूर्ण कराने हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। किसी दूसरी शाला के शिक्षक, जन शिक्षक, विकासखंड अकादमिक समन्वयक, विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, व्याख्याता डाइट, व्याख्याता पी.जी.बी.टी. अथवा आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के कर्मचारी/अधिकारी को पर्यवेक्षक के रुप में नियुक्त किया जा सकता है।

3- शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक जो शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव हैं, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी होंगे।

4- अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु इच्छुक सदस्यों में से संलग्न **परिशिष्ट–8** अनुसार नामांकन पत्र प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि केवल एक ही नामांकन आता है तो सदस्य सचिव निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करेगा। यदि एक से अधिक नामांकन आते हैं तो पर्ची पर नाम लिखवाकर/चिन्हाकिंत कर, गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन किया जायेगा।

6- सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

7- अध्यक्ष निर्वाचित घोषित की सूचना संलग्न **परिशिष्ट–9** अनुसार की जायेगी। इसकी एक प्रति निर्वाचित घोषित अध्यक्ष को दी जायेगी और एक प्रति शाला के रिकार्ड में रखी जायेगी।

8- निर्वाचन की प्रक्रिया का कार्य विवरण सदस्य सचिव द्वारा लिखा जायेगा और रिकार्ड के रूप में स्कूल में रखा जायेगा।

6. **शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल–** समिति का कार्यकाल दो साल का होगा।

7. **समिति के गठन की सूचना–** प्रत्येक प्राथमिक शाला/माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम अध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा समिति के गठन की सूचना **परिशिष्ट–10** अनुसार जनशिक्षक को दी जायेगी। जनशिक्षक द्वारा जनशिक्षा केन्द्र की संकलित जानकारी **परिशिष्ट–11** में विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक को भेजी जायेगी।

विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–12** में विकासखण्ड की संकलित जानकारी जिला परियोजना समन्वयक को भेजी जायेगी। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा **परिशिष्ट–13** में जिले की संकलित जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित की जायेगी।

8. शाला प्रबंधन समिति के गठन की समय सारिणी संलग्न **परिशिष्ट–14** के अनुसार होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार संलग्न जानकारी एवं समय सारिणी के अनुसार शाला प्रबंधन समिति के गठन की कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे जिले की समस्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं, तथा शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन निर्धारित समय सीमा में हो सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

क्रमांक/राशिके/ईएंडआर/2011/3105 भोपाल, दिनांक – 20.04.11

प्रतिलिपिः–

1- निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।

2- निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।

3- निज सचिव, मान. राज्य मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

4- प्रमुख सचिव ,म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

5- संभागीय आयुक्त, (राजस्व) संभाग समस्त, मध्यप्रदेश।

6- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.गौतम नगर, भोपाल।

7- आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, दूसरी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

8- आयुक्त अनुसूचित जाति विकास विभाग, 35 राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।

9- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

10- सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।

11- समस्त ज़िला प्रभारी अधिकारी (ओ.आई.सी.), राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12- प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13- प्राचार्य, ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14- जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15- जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

परिशिष्ट– 1

स्कूल प्रबंधन समिति.

(1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, की अधिसूचना प्रकाशन (26 मार्च 2011 से) के छह माह के भीतर, इसकी अधिकारिता के भीतर, सहायता न पाने वाले स्कूल के सिवाय, प्रत्येक स्कूल में एक प्रबंधन समिति गठित की जाएगी तथा प्रत्येक दो वर्ष में पुनर्गठित की जाएगी।

(2)(क) समिति, प्राइमरी स्कूल के लिए 18 सदस्यीय समिति होगी तथा मिडिल स्कूल के लिए 16 सदस्यीय समिति होगी। इसके न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बच्चों के माता और पिता या अभिभावकों में से होंगे। दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा।

(ख) **प्राथमिक स्कूल में निम्नानुसार सदस्य चुने जाएंगे–**

(एक) ऐसे प्रत्येक बच्चे के माता और पिता या अभिभावक जिसने कक्षा एक, दो, तीन और चार में, पूर्ववर्ती अकादमिक सत्र की वार्षिक परीक्षा/मूल्यांकन में, अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं; (ए.बी.एल.कार्यक्रम संचालित करने वाली शालाओं में मार्च माह तक सभी विषयों के कुल निर्धारित माइलस्टोन में से कक्षावार (भागवार)सर्वाधिक माइलस्टोन पूर्ण करने वाले बच्चों के माता–पिता या अभिभावकों को चयनित किया जाएगा। यदि दो या अधिक बच्चों द्वारा एक समान संख्या में माइलस्टोन पूर्ण किए हों तब उनके मध्य सर्वाधिक स्टार **(*)** प्राप्त करने वाले बच्चे के माता–पिता/अभिभावक का चयन किया जाएगा। उक्त स्थिति में भी यदि समानता रहती है तब चयन, पर्ची डालकर किया जाएगा।)

(दो) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों से संबंधित प्रत्येक एक बच्चे के माता और पिता या अभिभावक जिसने कक्षा एक से चार में, पूर्ववर्ती अकादमिक सत्र की वार्षिक परीक्षा में, क्रमशः उनके प्रवर्ग में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं; (ए.बी.एल. कार्यक्रम संचालित करने वाली शालाओं में मार्च माह तक सभी विषयों के कुल निर्धारित माइलस्टोन में से कक्षावार (भागवार)सर्वाधिक माइलस्टोन पूर्ण करने वाले बच्चों के माता–पिता या अभिभावकों को चयनित किया जाएगा। यदि दो या अधिक बच्चों द्वारा एक समान संख्या में मादलस्टोन पूर्ण किए हों तब उनके मध्य सर्वाधिक स्टार **(*)** प्राप्त करने वाले बच्चे के माता–पिता/अभिभावक का चयन किया जाएगा। उक्त स्थिति में भी यदि समानता रहती है तब चयन, पर्ची डालकर किया जाएगा।)

(तीन) नगरीय क्षेत्रों में स्कूल से संबंधित वार्ड का पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां स्कूल अवस्थित है उस वार्ड का पंच;

(चार) नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्थानीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष (चेयरपर्सन) व्दारा स्थानीय पार्षद के अतिरिक्त नामनिर्दिष्ट एक अन्य महिला पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां स्कूल स्थित है उस ग्राम पंचायत के सरपंच व्दारा स्थानीय पंच के अतिरिक्त नामनिर्दिष्ट एक महिला पंच;

(पांच) स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक;

(ग) **मिडिल स्कूल में निम्नानुसार सदस्य चयनित किए जाएंगे–**

(एक) ऐसे प्रत्येक बच्चे के माता और पिता या अभिभावक जिन्होंने कक्षा पांच, छह तथा सात में, पूर्ववर्ती अकादमिक सत्र की वार्षिक परीक्षा में, अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं;

(दो) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों से संबंधित प्रत्येक बच्चे के माता और पिता या अभिभावक जिसने कक्षा पांच से सात में पूर्ववर्ती अकादमिक सत्र की वार्षिक परीक्षा में, क्रमशः उनके प्रवर्ग में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं;

(तीन) नगरीय क्षेत्रों में स्कूल से संबंधित वार्ड का पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां स्कूल स्थित है उस वार्ड का पंच

(चार) नगरीय क्षेत्र में नगरीय स्थानीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष (चेयरपर्सन) व्दारा स्थानीय पार्षद के अतिरिक्त नामनिर्दिष्ट एक अन्य महिला पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्र में, जहां स्कूल स्थित है उस ग्राम पंचायत के सरपंच व्दारा स्थानीय पंच के अतिरिक्त नामनिर्दिष्ट एक अन्य महिला पंच;

(पांच) स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक।

(3) **समिति का एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा।**

(4) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगाः

परन्तु निर्वाचित प्रतिनिधि, पार्षद/पंच तथा शिक्षक, जिसमें सम्मिलित हैं प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक, निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे, न ही उन्हें कोई मत देने का अधिकार होगा।

(5) बैठक की कार्यवाही प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधान अध्यापक द्वारा शाला प्रबंधन समिति के रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी।

–––000–––

परिशिष्ट –2

कार्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला ——————
ग्राम/वार्ड —————

क्रमांक: **स्थान, दिनांक– ———**

शाला प्रबंधन समिति की बैठक की सूचना

प्रति,
समस्त पालक/अभिभावक,

आपको यह सूचना दी जाती है कि **शाला—————— की शाला प्रबंधन समिति** की बैठक ———––ग्राम/वार्ड के————————प्राइमरी स्कूल/मिडिल स्कूल के परिसर में, दिनांक– ——–— 2011 को ————————बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में आयोजित की जाएगी। बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। बैठक के लिए कार्यसूची निम्नानुसार है :–

1. शाला प्रबंधन समिति में मेद्यावी बच्चों के माता और पिता/अभिभावक का चयन संबंधी।

प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम् शिक्षक
तथा पदेन सदस्य सचिव,
शाला प्रबंधन समिति

★ **जो लागू न हो उसे काट दें**

नोट : (यह पत्र शाला के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा शाला के समस्त विद्यार्थियों के पालकों/अभिभावकों को अपने नाम, हस्ताक्षर एवं शाला की पदमुद्रा सहित लिखा जाएगा)

परिशिष्ट –3

कार्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला —————
ग्राम/वार्ड —————

क्रमांकः **स्थान, दिनांक– ———**

शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता और पिता/अभिभावक के चयन की सूचना

प्रति,
श्रीमती/श्री ————
माता–पिता/अभिभावक,
————————

विषयः– वार्ड ––की प्राथमिक/माध्यमिक शाला –––– की शाला प्रबंधन समिति में सदस्य चयनित होने संबंधी।

मान्यवर,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रत्येक प्राथमिक/माध्यमिक शाला में, शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 के उपनियमों के तहत ''कक्षावार/प्रवर्गवार, वार्षिक परीक्षा/मूल्यांकन में अधिकतम् प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के माता और पिता/अभिभावक'' स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे।

उक्तानुसार कक्षा/प्रवर्ग ———————— के विद्यार्थी के माता/पिता/अभिभावक के रुप में आप ———————————— शाला की प्रबंधन समिति में चयनित सदस्य हैं। आप के सक्रिय सहयोग से शाला अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगी।

सादर,
हस्ताक्षर
(नाम)
प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम् शिक्षक
तथा पदेन सदस्य सचिव,
शाला प्रबंधन समिति

★ जो लागू न हो उसे काट दें

नोट : (यह पत्र शाला के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा शाला प्रबंधन समिति में चयनित माता–पिता/अभिभावकों को अपने नाम, हस्ताक्षर एवं शाला की पदमुद्रा सहित लिखा जाएगा)

परिशिष्ट–4

कार्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला ——————
ग्राम/वार्ड —————

स्थानीय वार्ड के माननीय पार्षद/पंच महोदय का शाला प्रबंधन समिति में मनोनयन हेतु सूचना पत्र

क्रमांकः **स्थान, दिनांक– ———**

प्रति,

सुश्री/श्री ——————
पार्षद / पंच
वार्ड – ———

विषयः– वार्ड ––की प्राथमिक/माध्यमिक शाला ——— की शाला प्रबंधन समिति में सदस्य होने की सूचना संबंधी।

मान्यवर,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रत्येक प्राथमिक/माध्यमिक शाला में, शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 (2) (ख) (तीन) के तहत ''नगरीय क्षेत्रों में वार्ड का पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां स्कूल अवस्थित है, वार्ड का पंच'' स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे।

उक्तानुसार स्कूल से संबंधित वार्ड के माननीय पार्षद/पंच के रुप में आप ————————— शाला की प्रबंधन समिति में पदेन सदस्य हैं। आप के सक्रिय एवं मार्गदर्शी सहयोग से शाला अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगी।

(स्थान, दिनांक– ————)

सादर,
हस्ताक्षर
(नाम)
प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम् शिक्षक
तथा पदेन सदस्य सचिव,
शाला प्रबंधन समिति

★ **जो लागू न हो उसे काट दें**

नोट : (यह पत्र शाला के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा स्थानीय वार्ड के मा. पार्षद/मा.पंच महोदय को अपने नाम, हस्ताक्षर एवं शाला की पदमुद्रा सहित लिखा जाएगा)

परिशिष्ट–5

कार्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला ——————
ग्राम/वार्ड —————

शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद/पंच महादया के मनोनयन किये जाने हेतु स्थानीय निकाय के माननीय महापौर/अध्यक्ष/सरपंच महोदय को पत्र

क्रमांकः **स्थान, दिनांक– ———**

प्रति,

माननीय सुश्री/श्री ——————
महापौर/अध्यक्ष/सरपंच
नगर/ग्राम – ———

विषयः– वार्ड ——— की प्राथमिक / माध्यमिक शाला —————की शाला प्रबंधन समिति में सदस्य के रुप में एक महिला पार्षद/पंच का मनोनयन संबंधी।

मान्यवर,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रत्येक प्राथमिक/माध्यमिक शाला में, शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 (2) (ख) (चार) के तहत ''नगरीय क्षेत्रों में जहां स्कूल अवस्थित है, नगरीय स्थानीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष (चेयरपर्सन) व्दारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां स्कूल स्थित है, ग्राम पंचायत के सरपंच व्दारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पंच ''स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि, ये पार्षद/पंच स्कूल से संबंधित वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड के हों, क्योंकि, स्थानीय वार्ड के पार्षद/पंच पूर्व से ही शाला प्रबंधन समिति के सदस्य मनोनीत हैं।

अतः कृपया उक्तानुसार प्राथमिक / माध्यमिक शाला ————— की शाला प्रबंधन समिति में, सदस्य के रुप में एक माननीय महिला पार्षद/पंच को सदस्य मनोनीत करने का कष्ट करें।

(स्थान, दिनांक– ————)

सादर,
हस्ताक्षर
(नाम)
प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम् शिक्षक
तथा पदेन सदस्य सचिव,
शाला प्रबंधन समिति

★ जो लागू न हो उसे काट दें

नोट : (यह पत्र शाला के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा स्थानीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष/सरपंच महोदय को अपने नाम, हस्ताक्षर एवं शाला की पदमुद्रा सहित लिखा जाएगा)

परिशिष्ट–6

कार्यालय प्राथमिक / माध्यमिक शाला ——————
ग्राम / वार्ड —————

शाला प्रबंधन समिति में शाला की वरिष्ठतम् महिला शिक्षक के मनोनयन का सूचना पत्र

क्रमांकः **स्थान, दिनांक– ———**

प्रति,

सुश्री / श्रीमती ——————————
वरिष्ठतम् महिला शिक्षक
शाला – —————————वार्ड – ————
नगर / ग्राम – ————

विषयः– वार्ड ——— की प्राथमिक / माध्यमिक शाला ———————की शाला प्रबंधन समिति में सदस्य के रुप में मनोनयन संबंधी।

प्रिय,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रत्येक प्राथमिक / माध्यमिक शाला में, शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 (2) (ख) (पाँच) के तहत ''शाला की वरिष्ठतम् महिला शिक्षक ''स्कूल प्रबंधन समिति की सदस्य होंगी।

उपरोक्तानुसार आपको शाला प्रबंधन समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है।

(स्थान, दिनांक– ————)

सादर,
हस्ताक्षर
(नाम)
प्रधान अध्यापक / वरिष्ठतम् शिक्षक
तथा पदेन सदस्य सचिव,
शाला प्रबंधन समिति

★ **जो लागू न हो उसे काट दें**

नोट : (यह पत्र शाला के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा शाला की वरिष्ठतम् महिला शिक्षक को अपने नाम, हस्ताक्षर एवं शाला की पदमुद्रा सहित लिखा जाएगा)

परिशिष्ट –7

कार्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला ——————
ग्राम/वार्ड —————

अध्यक्ष के चुनाव हेतु शाला प्रबंधन समिति की बैठक की सूचना

क्रमांकः **स्थान, दिनांक– ———**

प्रति,
श्रीमती/श्री ——————
पालक/अभिभावक सदस्य,
शाला प्रबंधन समिति
प्राथमिक/माध्यमिक शाला – —————————
वार्ड– ————
ग्राम/नगर – ————————

आपको यह सूचना दी जाती है कि **शाला—————— की शाला प्रबंधन समिति** की बैठक ———————ग्राम/वार्ड के————————प्राइमरी स्कूल/मिडिल स्कूल के परिसर में **दिनांक—————को** —————————बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में आयोजित की जाएगी।

बैठक के लिए कार्यसूची निम्नानुसार है :–

1. शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के चुनाव संबंधी।

सादर,
हस्ताक्षर
(नाम)
प्रधान अध्यापक/वरिष्ठतम् शिक्षक
तथा पदेन सदस्य सचिव,
शाला प्रबंधन समिति

★ **जो लागू न हो उसे काट दें**

नोट : (यह पत्र शाला के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा शाला प्रबंधन समिति के सदस्य, माता–पिता/अभिभावक को अपने नाम, हस्ताक्षर एवं शाला की पदमुद्रा सहित लिखा जाएगा)

परिशिष्ट–8

शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के पद के लिए नाम निर्देशन हेतु प्ररूप

अभ्यर्थी का नाम ————————————————————

पिता/पति का नाम———————————————————

जाति————————————————————————————

पूरा पता——————————————————————————
अभ्यर्थी को प्रस्तावित करने वाले सदस्य का नाम ———————————————————— हस्ताक्षर ——————————
प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्य का नाम—————————————————————— हस्ताक्षर ——————————

अभ्यर्थी द्वारा घोषणाः–

मैं, एतद्द्वारा, घोषित करता हूँ कि मैं ——————————————, प्राथमिक/माध्यमिक शाला ———————— की शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के पद का निर्वाचन लड़ने का इच्छुक हूँ तथा यदि निर्वाचित हुआ तो शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवा करूंगा।

(स्थान, दिनांक– ————)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

★ **जो लागू न हो उसे काट दें**

परिशिष्ट–9

कार्यालय प्राथमिक / माध्यमिक शाला ————————
ग्राम / वार्ड ————————

शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा

क्रमांकः **स्थान, दिनांक– ———**

प्राथमिक / माध्यमिक शाला...................................... की शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में श्री / श्रीमती..................................... को निर्विरोध / विजयी, निर्वाचित घोषित किया जाता है।

हस्ताक्षर
(नाम)
प्रधान शिक्षक / वरिष्ठतम शिक्षक एवं
पदेन सदस्य सचिव, तथा पदेन निर्वाचन अधिकारी,
शाला प्रबंधन समिति

★ **जो लागू न हो उसे काट दें**

नोट : (यह प्रपत्र शाला के प्रधान अध्यापक / वरिष्ठतम शिक्षक एवं पदेन सदस्य सचिव तथा पदेन निर्वाचन अधिकारी, शाला प्रबंधन समिति के द्वारा शाला के लेटर हेड अथवा सादे कागज पर अपने नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जायेगा। इसकी एक प्रति निर्वाचित अध्यक्ष को दी जाकर एक प्रति शाला के रिकार्ड में संधारित की जायेगी)

परिशिष्ट–10

शाला–––––––––––– जनशिक्षाकेन्द्र –––––––––––––––––––विकासखण्ड ––––––––––––––––––जिला ––––––––––

शाला प्रबंधन समिति का गठन की जानकारी

शाला –––––(शाला का नाम)––––––––– में नियमानुसार शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया। गठन की कार्यवाही पर्यवेक्षक श्री/सुश्री ––––––––––––––––– पद –––––––––––––– की उपस्थिति में की गई। गठन के दौरान अध्यक्ष, के निर्वाचन की कार्यवाही में निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया गया तथा इस संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

शाला प्रबंधन समिति में पालकों/अभिभावकों के चयन के साथ गठन संपन्न हुआ (हां/नहीं)	**स्थानीय पंच/पार्षद का मनोनयन किया गया (हां/नहीं)**	**महापौर/अध्यक्ष/सरपंच द्वारा एक महिला पंच/पार्षद का मनोनयन हुआ (हां/नहीं)**	**अध्यक्ष का चुनाव हुआ (हां/नहीं)**

	नाम	**आयु**	**अनु.जाति/अनु. जनजाति**	**महिला/पुरूष**
अध्यक्ष				
स्थानीय वार्ड का पंच/पार्षद				
महापौर/अध्यक्ष/सरपंच द्वारा मनोनीत एक महिला पंच/पार्षद				

हस्ताक्षर
सचिव
(शाला प्रबंधन समिति)
नाम–

हस्ताक्षर
पर्यवेक्षक
(पदनाम)
नाम–

(स्थान, दिनांक– –––––––)

नोटः(1) यदि किसी शाला में प्राथमिक तथा माध्यमिक सेक्शन अलग–अलग होगें तब भी प्राथमिक शाला तथा माध्यमिक शाला हेतु अलग–अलग निर्वाचन होने से यह जानकारी अलग–अलग भरी जायेगी।

(2) शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन के दिन ही शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी की तीन प्रतियां सचिव द्वारा तैयार की जाएं। एक प्रति शाला में रखी जाए तथा एक–एक प्रति जनशिक्षक और पर्यवेक्षक को दी जाए।

परिशिष्ट–11

जनशिक्षा केन्द्र ———————————— विकासखण्ड ———————————— जिला ————————————

शाला प्रबंधन समिति गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र

	शालाओं की संख्या	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें शाला प्रबंधन समिति गठित की गई	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका	ऐसी शालाओ की संख्या जिनमें महापौर/अध्यक्ष/सरपंच द्वारा महिला पंच/पार्षद का मनोनयन नही हो सका
प्राथमिक शाला				
माध्यमिक शाला				

हस्ताक्षर
जनशिक्षक/जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी

(स्थान, दिनांक– ————)

नोटः यह प्रपत्र जन शिक्षा केन्द्र द्वारा शालाओं से परिशिष्ट–10 में प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार कर, जनपद शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

परिशिष्ट–12

विकासखण्ड ——————————————————— जिला ——————————————————————

शाला प्रब्रंधंन समिति गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र

	शालाओं की संख्या	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें शाला प्रबंधन समिति गठित की गई	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका	ऐसी शालाओ की संख्या जिनमें महापौर/अध्यक्ष/सरपंच द्वारा महिला पंच/पार्षद का मनोनयन नही हो सका
प्राथमिक शाला				
माध्यमिक शाला				

हस्ताक्षर
विकासखंड स्त्रोत्र केन्द्र समन्वयक/ विकासखंड शिक्षा अधिकारी

(स्थान, दिनांक– ———–)

नोटः यह प्रपत्र, विकासखंड स्त्रोत केन्द्र द्वारा जन शिक्षा केन्द्रों से परिशिष्ट–11 में प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार कर ज़िला शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

परिशिष्ट–13

ज़िला शिक्षा केन्द्र ———————————— जिला ——————————————

शाला प्रबंधन समिति गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र

	शालाओं की संख्या	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें शाला प्रबंधन समिति गठित की गई	ऐसी शालाओं की संख्या जिनमें अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका	ऐसी शालाओ की संख्या जिनमें महापौर/अध्यक्ष/सरपंच द्वारा महिला पंच/पार्षद का मनोनयन नही हो सका
प्राथमिक शाला				
माध्यमिक शाला				

हस्ताक्षर
ज़िला परियोजना समन्वयक
ज़िला ——————

(स्थान, दिनांक– ———)

नोटः यह प्रपत्र, ज़िला शिक्षा केन्द्र द्वारा विकासखंड स्त्रोत केन्द्रों से परिशिष्ट–12 में प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार कर राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित किया जाएगा।

परिशिष्ट– 14

शाला प्रबंधन समिति के गठन एवं अध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम, वर्ष – 2011–13

दिनांक	गतिविधि	कार्य निर्वहन किसके द्वारा
20 अप्रेल 2011	शाला प्रबंधन समिति के गठन एवं निर्वाचन का आदेश पत्र राज्य शिक्षा केन्द्र से जारी होना एवं वेब पोर्टल पर अपलोड करना	ई एण्ड आर कक्ष, प्रोग्रामर, पोर्टल, रा.शि.के.
20 से 21 अप्रेल 2011	समस्त संबंधित स्कूलों को शाला प्रबंधन समिति गठन एवं अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया से अवगत/सूचित कराना।	ज़िला परियोजना समन्वयक, वि.ख. स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी एवं जन शिक्षक
21 से 23 अप्रेल 2011	1. प्राथमिक शाला की शाला प्रबंधन समिति में मेद्यावी बच्चों के माता और पिता/अभिभावकों के चयन हेतु शाला में अध्ययनरत् बच्चों के पालकों को बैठक हेतु सूचित करना।	शाला के प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक,
	2. प्राथमिक/माध्यमिक शाला की शाला प्रबंधन समिति में मनोनीत निर्वाचित, स्थानीय पंच/पार्षद को तत्तसंबंधी पत्र का प्रेषण	शाला के प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक,
	3. प्राथमिक/माध्यमिक शाला की शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पंच/पार्षद के मनोनयन हेतु मा. महापौर/अध्यक्ष/सरपंच को पत्र का प्रेषण।	शाला के प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक,
23 अप्रेल 2011 तक	1. बैठक आयोजित कर शाला प्रबंधन समिति में मेद्यावी बच्चों के माता और पिता/अभिभावकों का चयन सुनिश्चित करना।	शाला के प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक, जन शिक्षक
	2. चयन के दिवस ही शाला प्रबंधन समिति के चयनित माता और पिता/अभिभावक, सदस्यों को परिशिष्ट–3 अनुसार, सूचना देना।	शाला के प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक,
15 मई 2011 तक	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु शालावार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर, संबंधित पर्यवेक्षक और शाला के प्रधान शिक्षक/पदेन सदस्य सचिव को सूचित करना।	ज़िला परियोजना समन्वयक (ज़िला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाइट, प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय के सहयोग से) बी.आर.सी.सी., जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी, जन शिक्षक
06 जून से 11 जून 2011	1. प्राथमिक शाला की शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु बैठक की तिथि निश्चित कर माता और पिता/अभिभावक सदस्यों सूचना पत्र का प्रेषण करना। तथा वरिष्ठ स्तर से नियुक्त पर्यवेक्षक को सूचित करना।	शाला के प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक
	2. अध्यक्ष का चुनाव करवाना।	शाला के प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक, जन शिक्षक, जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी, उच्च स्तर से नियुक्त पर्यवेक्षक
1 जुलाई से 10 जुलाई 2011	1. माध्यमिक शाला की शाला प्रबंधन समिति में मेद्यावी बच्चों के माता और पिता/अभिभावकों के चयन हेतु शाला में अध्ययनरत् बच्चों के माता और पिता/ अभिभावकों को बैठक हेतु सूचित करना।	शाला के प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक
	2. बैठक आयोजित कर शाला प्रबंधन समिति में मेद्यावी बच्चों के माता और पिता/अभिभावकों का चयन सुनिश्चित करना।	शाला के प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक, जन शिक्षक

	3. चयन के दिवस ही शाला प्रबंधन समिति के चयनित माता और पिता/अभिभावक, सदस्यों को परिशिष्ट–3 अनुसार, सूचना देना।	
	4. माध्यमिक शाला की शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु बैठक की तिथि निश्चित कर समस्त माता और पिता/अभिभावक सदस्यों सूचना पत्र का प्रेषण करना। तथा वरिष्ठ स्तर से नियुक्त पर्यवेक्षक को सूचित करना।	शाला के प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक
	5. अध्यक्ष का चुनाव करवाना।	शाला के प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक, जन शिक्षक, जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी, उच्च स्तर से नियुक्त पर्यवेक्षक
11 से 12 जुलाई 2011	प्रा./मा. शाला की शाला प्रबंधन समिति के शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के एवं अध्यक्ष के नाम जन शिक्षक को उपलब्ध कराना।	शाला के प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक
13 से 16 जुलाई 2011	शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन संबंधी जन शिक्षा केन्द्र की एकजाई जानकारी विकासखंड स्त्रोत केन्द्र कार्यालय को उपलब्ध कराना।	जन शिक्षक, जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी
20 जुलाई 2011 तक	शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन संबंधी विकासखंड शिक्षा केन्द्र की एकजाई जानकारी ज़िला शिक्षा केन्द्र कार्यालय को उपलब्ध कराना।	बी.आर.सी.सी.
25 जुलाई 2011 तक	शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन संबंधी ज़िले की एकजाई जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र कार्यालय को उपलब्ध कराना।	ज़िला परियोजना समन्वयक

———000———